भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3310 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

नाविकों की निकासी

3310. श्री तनुज पुनिया:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीफेयरर फर्स्ट प्लान के तहत त्वरित चिकित्सीय प्रतिक्रिया और आपातकालीन निकासी के लिए किन-किन मंत्रालयों और भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय तंत्र स्थापित किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जहाज मालिकों और भर्ती एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त सुरक्षा के बिना संवेदनशील मार्गों पर ड्यूटी करने के लिए बाध्य न करें; और

(ग) प्रभावित नाविकों के परिवारों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाने वाले समर्पित संपर्क अधिकारियों की क्या भूमिका है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विश्व भर में भारतीय दूतावासों के माध्यम से तथा इस मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ निकाय समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) के माध्यम से भी, नाविक फर्स्ट प्लान के तहत त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया और आपातकालीन निकासी के लिए पोर्ट स्टेट अथॉरिटीज, फ्लैग स्टेट अथॉरिटीज और रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस (आरएसपीएल) एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है।

(ख): फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, काला सागर और यमन/ लाल सागर क्षेत्र सहित संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा के माहौल को ध्यान में रखते हुए, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने कई एडवाइजरी जारी की हैं। ये एडवाइजरी की प्रकृति

एहतियाती हैं और इनका उद्देश्य भारतीय नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना है। इसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): सरकार ने समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) के माध्यम से, समुद्री आपात स्थितियों और संकट की स्थितियों के दौरान भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को निरंतर समन्वय, संचार और कल्याणकारी सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित अधिकारियों को नामित किया है। ये अधिकारी संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं और समय पर सहायता तथा समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निकट संबंधियों, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस (आरएसपीएल) एजेंसियों, शिपिंग कंपनियों, विदेशों में भारतीय मिशनों, समुद्री प्रशासनों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 02.03.2026 के आदेश के तहत, तत्काल प्रतिक्रिया, निकासी समन्वय, संकट प्रबंधन और कल्याणकारी सहायता प्रदान करने के लिए डीजीएमए में एक समर्पित 24×7 त्वरित प्रतिक्रिया टीम का गठन किया गया है। नामित अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- प्रभावित नाविकों के परिवारों और निकट संबंधियों के साथ निरंतर संचार बनाए रखना।
- रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए, आरपीएसएल (आरएसपीएल) एजेंसियों, शिपिंग कंपनियों, विदेशों में भारतीय मिशनों, पत्तन प्राधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना।
- डीजी संचार केन्द्र के माध्यम से समर्पित टेलीफोन, व्हाट्सएप और ईमेल चैनलों के माध्यम से चौबीस घंटे तत्काल सहायता प्रदान करना।
- समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, निकासी, स्वदेश वापसी, कल्याणकारी सहायता और जारी एडवाइजरियों का प्रसार सुविधाजनक बनाना।
- प्रभावित नाविकों की स्थिति और स्थान की मॉनिटरिंग करना, समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

तदनुसार, प्रभावित परिवारों के साथ निरंतर संबंध और सभी कल्याणकारी, राहत, संचार तथा सहायता से संबंधित मामलों के लिए समय पर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु, नामित संपर्क अधिकारियों और एक समर्पित 24×7 प्रतिक्रिया टीम के माध्यम से एक संरचित तंत्र स्थापित किया गया है।

अनुबंध

भारतीय नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी:

निम्नलिखित एडवाइजरी दिनांक 10.04.2024 के डीजीएस परिपत्र संख्या 08/2024 के तहत स्थापित स्थायी समुद्री सुरक्षा आर्किटेक्चर के साथ-साथ प्रचालित की जाती हैं और 24 घंटे के कंट्रोल रूम, डीजीएमए के तहत डीजी कम्यूनिकेशन सेंटर के माध्यम से निरंतर रियल टाइम मॉनिटरिंग, तथा हर 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट जारी करने द्वारा समर्थित हैं।

i. **डीजीएस एडवाइजरी (14.01.2026)** - ईरान पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए एडवाइजरी, जिसमें शिपिंग कंपनियों को परामर्श दिया गया था कि अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को ईरान न भेजा जाए, इस क्षेत्र में भारतीय कर्मीदलों की बारीकी से मॉनिटरिंग अपेक्षित है, और नाविकों को निर्देश जाएं कि वे भारत के दूतावास और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।

ii. **डीजीएस का 2026 परिपत्र 09 (28.02.2026)** - ईरान में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल एडवाइजरी, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो, सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने की आवश्यकता और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

iii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 10 (06.03.2026)** - फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें निरंतर सतर्कता बनाए रखने, आईएसपीएस कोड सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने, 24x7 आपातकालीन संपर्क तंत्र स्थापित करने, भारतीय मिशनों से संपर्क बनाए रखने, आपातकालीन तैयारी, और जहां आवश्यकता हो, नाविकों व उनके परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग सहायता प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।

iv. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 11 (07.03.2026)** - समुद्री हितधारकों और नाविक समुदाय के लिए सोशल मीडिया एडवाइजरी, जिसमें समुद्री हितधारकों को अप्रमाणित जानकारी, अफवाहों, नकली वीडियो या अटकलबाजी वाली रिपोर्टों को प्रसारित करने से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया है।

v. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 21 (07.04.2026)** - ईरानी पत्तनों में किनारे पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास प्रचालित जलयानों पर भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें ईरान में नाविकों को निर्दिष्ट स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने, अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने, दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने और कंपनी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने का परामर्श दिया गया, साथ ही 24x7 आपातकालीन सहायता संपर्क विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

vi. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 31 (13.06.2026)** - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराया गया है, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है (सहमति से आपातकालीन क्रू परिवर्तन को छोड़कर), मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और सत्यापित सुरक्षा जानकारी का प्रसार किया गया है।

vii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 36 (15.07.2026):** व्यापारी जलयानों पर नए हमलों को देखते हुए, डीजीएस परिपत्र संख्या 36/2026 ने पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलयान और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है और खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली यात्राओं पर भारतीय नाविकों को तैनात करने के खिलाफ सलाह दी।

viii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 41 (23.07.2026) -** काले सागर में प्रचालन करने वाले भारतीय नाविकों को ले जाने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए जारी एडवाइजरी, जिसमें अतिरिक्त सावधानी, यात्रा-विशिष्ट सुरक्षा मूल्यांकन, सुरक्षा एडवाइजरियों का कड़ाई से पालन और घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग की आवश्यकता है।

ix. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र 42 (23.07.2026) -** बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, दक्षिणी लाल सागर और उसके पास यमन के जल में प्रचालन करने वाले जलयानों के लिए जारी एडवाइजरी, जिसमें जलयान स्वामियों और मास्टर्स को अत्यधिक सावधानी बरतने, सुरक्षा घटनाक्रमों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और अतिरिक्त जोखिम कम करने के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
